उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 123/2023–24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सिया देवी पत्नी श्री नेतराम वास्ते श्री पुष्कर कुमार, किशनपुर, नियर काली मन्दिर, किच्छा। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। — विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सिया देवी पत्नी श्री नेतराम वास्ते श्री पुष्कर कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.07.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2G428680726 (02 किलोवाट घरेलू) पर लगे विद्युत मीटर की गलत रीडिंग लिए जाने के कारण विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। जबकि उक्त परिसर पर उनके माता–पिता ही रहते हैं। विभाग द्वारा 23 दिनों की विद्युत खपत 723 यूनिट दर्शाते हुए रु 4710.00 का विद्युत बिल बनाया गया है जो बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कई बार शिकायत भी की गयी परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर लगे विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 31.07.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2023, 05.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता

क्रमशः 2.....

(राजस्व) व श्री दिनेश चन्द्र गुर्रानी, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–502 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर लगे विद्युत मापक की चैक मापक के द्वारा जांच करने पर परिवादिनी का पुराना मापक सही चलता पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की शिकायत के संबन्ध में इस मंच के निर्देशानुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी परिसर पर दिनांक 05.09.2023 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 18.09. 2023 को चैक मापक फाइनल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का पुराना / मुख्य मीटर सही चलता पाया गया। नियमानुसार सही मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	25/09/2023 (नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	25/09/2023 (सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य